न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

यु.नं. 8/16 ता:रजू 2.11.16

पीठासीन अधिकारी – जगदीश आर्य R.A.S.

उनवान

कान्ता देवी पुत्री जयराम पत्नि पूरण आयु 20 साल जाति बैरवा निवासी भीमपुर तह० टोडाभीम हालवासी चांदूसा तह० सिकराय जिला दौसा

(अपीलांट)

बनाम

1. प्रेमदेवी पत्नि पप्पूराम जाति बैरवा निवासी चडांगा तह० नादौती जिला करौली
2. सरपंच ग्राम पंचायत सांकरवाड़ा तहसील टोडाभीम
3. परसादी पुत्र पून्या जाति बैरवा निवासी भीमपुर तह० टोडाभीम
4. गुलबी पुत्री पून्या पत्नि टीकाराम जाति बैरवा निवासी भीमपुर तह० टोडाभीम जिला करौली हालवासी लुहारखेडा तह० टोडाभीम जिला करौली

(रेस्पो०)

अपील खिलाफ आदेश नामान्तकरण सं० 168 तारीखी 20.4.2016 सरपंच ग्राम पंचायत सांकरवाड़ा (टोडाभीम)

उपस्थिति – श्री महेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट (अपीलांट)

निर्णय दिनांक 3.10.2017

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता जयराम खातेदार पून्या पुत्र रामहित के जीते जी ही लगभग 16 वर्ष पूर्व फौत हो चुके हैं। जयराम एवं रेस्पो० नं. 1 के संसर्ग से एक मात्र सन्तान अपीलांट पैदा हुई थी। जिसे रेस्पोडेन्ट नं. 1 निर्दयता पूर्वक अपीलांट के पिता जयराम की फौतगी के दो साल बाद ही अपीलांट को मात्र 5 साल की अवस्था में अनाथ छोड़क अपने निजी स्वार्थ एवं वैवाहिक सुख के लिए पप्पू पुत्र रामसहा जाति बैरवा निवासी चडांगा तह० नादौती के पास चली गई और पप्पू के साथ पुर्नविवाह कर लिया। तथा स्थायी रूप से पप्पू के

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

साथ ग्राम धड़ोंगा में ही रहती है। तथा पप्पू एवं रेस्पो॰ नं. 1 के संसर्ग से वर्तमान में ग्राम धड़ोंगा में तीन जीवित संतान है। यह तथ्य ग्राम पंचायत दलपुरा द्वारा जारी परिचय पत्र क्रमांक 610 तारीखी 14.2.2013 वोटर लिस्ट 2014 ग्राम धड़ोंगा तहसील नादौती से बखूबी साबित है। इस तथ्य की रेस्पो॰ नं. 2 को बखूबी - जानकारी थी इसके बावजूद रेस्पो॰ नं. 1 व 2 में आपस में साज कर अपीलांट को नुकसान पहुंचाने की गरज से यह नामान्तकरण जेरे आदेश गैर कानूनी तरीके से पारित किया है। जो काबिले खारिज है। खातेदार प्रन्या पुत्र रामहेत बैरवा निवासी भीमपुर जो अपीलांट का नैसर्गिक बाबा है। प्रन्या के एकमात्र वारिस अपीलांट पोती व रेस्पो॰ नं. 3 व 4 है जो उसके पुत्र व पुत्री है। जो उसके तर्के पर काबिज है। उक्त प्रन्या के अपीलांट व रेस्पो॰ नं. 3 ता. 4 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है जो रेस्पो॰ नं. 2 स्वयं द्वारा जारी - वारिस प्रमाण-पत्र क्रमांक 1/2016 तारीखी 7.1.2015 से साबित है। फिर भी रेस्पो॰ नं. 2 ने इस तथ्य पर गौर नहीं करते हुए इस नामा॰ जेरे अपील में कानून के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी से रेस्पोडेन्ट सं॰ 1 से साज कर अपीलांट के साथ-साथ रेस्पो॰ नं॰ 1 का नाम भी दर्ज कर दिया जो गलत और गैर कानूनी है इस बिना पर भी जेरे अपील काबिले खारिज है। नामान्तकरण जेरे अपील में दर्ज भूमि में एक इंच भू भाग पर भी रेस्पो॰ नं. 1 का कब्जा नहीं रहा है वा हि आज है। फिर भी रेस्पो॰ नं. 2 ने नामा॰ में रेस्पो. नं. 1 का नाम दर्ज कर दिया, कानूनी भूल की है। इसलिए नामा॰ खारिज योग्य है। अपीलांट दिनांक 16.10.2016 को नामा॰ जेरे अपील में दर्ज आराजीयात में अपने हिस्से की आराजीयात पर आगामी फसल की तैयारी हेतु अपनी ससुराल से आई तब ग्राम के लोगों ने इस गैर कानूनी व गलत नामा॰ बाबत बताया तब अपीलांट को रेस्पो॰ नं. 1 व 2 की इस साजिश का पता चला। अपील अपीलांट पेश कर अर्ज है कि अपील स्वीकार कर आदेश नामा॰ सं॰ 168 तारीखी 20 4/16 सरपंच ग्राम पंचायत साँकरवाड़ा निरस्त कर अपीलांट के पिता जयराम के हिस्से की आराजी का नामा॰ उक्त जयराम की एकमात्र

उसकी पुत्री अपीलांट के हक में तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपील अपीलांट दर्ज रजि० कर रेस्पो० को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट 2ता 4 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए तथा रेस्पो० नं. 1 ने नोटिस का रजि० ए०डी० लिफाफा प्राप्त करने से इन्कार किया जिस पर तामील मानी गई। समस्त रेस्पो० उपस्थित नहीं हुए जिस पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

वकील अपीलांट की बहस सुनी गई। इन्होंने अपनी अपील में वर्णित किये तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अपीलांट की मां ने पप्पू नाम के व्यक्ति के साथ पुर्नविवाह कर लिया है वर्तमान में पप्पू के साथ ग्राम धडांगा तहसील नादौती के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही है तथा रेस्पो. नं. 1 के पप्पू के संसर्ग से तीन सन्तानें भी है। इसलिए अपील स्वीकार की जावे तथा रेस्पो. नं. 1 प्रेमदेवी का नाम नामा. सं. 164 में से हटवाया जावे।

वकील अपीलांट की बहस सुनी गई। पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार टोडाभीम को आदेश दिये जाते है कि नामा० संख्या 164 तारीख 20.4.16 ग्राम भीमपुर तह० टोडाभीम के संबंध में सुनवाई कर न्यायोचित निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 3.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उपखण्ड अधिकारी)
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner